बिहार सरकार

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना ।

सूचना

पत्रांक– 4/STA.(विविध) –20/2017 परि0– 559   पटना,दिनांक– 25.01.18

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक–16.03.2017, 20.03.2017, 21.03.2017 एवं 27.04.2017 को बिहार–पश्चिम बंगाल एवं दिनांक–29.05.2017 को बिहार–झारखंड के विभिन्न अन्तर्राज्यीय मार्ग पर आहूत राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठकों में वाहनस्वामियों के पक्ष में इस शर्त्त के साथ स्थायी परमिट की स्वीकृति प्रदान की गयी थी कि कार्यवाही निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परमिट निर्गत करने हेतु सभी अद्यतन वैद्य कागजात एवं शुल्क के साथ आवेदन कार्यालय में समर्पित किया जाएगा। निर्धारित अवधि के पश्चात् कागजात समर्पित किये जाने की स्थिति में उनका परमिट स्वतः रद्द समझा जाएगा ।

वैसे वाहन स्वामी जिनके वाहन के पक्ष में स्वीकृत स्थायी परमिट के निगर्मन हेतु अधूरा/त्रुटिपूर्ण कागजात समर्पित किया गया, उन्हें विभागीय वेबसाईट एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचना प्रकाशित करते हुए विभागीय सूचना पत्रांक–6383, दिनांक–14.12.2017 द्वारा एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक–21.12.2017 तक समस्त अद्यतन कागजात/वांछित शुल्क समर्पित करने का मौका दिया गया।

उपर्युक्त सूचना के आलोक में कतिपय वाहन स्वामियों द्वारा परमिट निर्गमन हेतु कागजात एवं शुल्क जमा किया गया है, परन्तु वैसे वाहन स्वामी जिन्होनें दिनांक–21.12.2017 तक अद्यतन कागजात एवं शुल्क जमा नहीं किया है, उनके परमिट को रद्द किया जाता है। साथ ही वैसे वाहन स्वामी जिन्होंने राज्य परिवहन प्राधिकार की शर्त के अनुरूप एक माह की निर्धारित अवधि तक किसी प्रकार का आवेदन समर्पित नहीं किया है, उनके स्वीकृत परमिट को भी रद्द किया जाता है ।

25/1/18

सरकार के उप सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना।